न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली (टोंक)

मिसल संख्या – 189/2021 निर्णय दिनांक :– 26.5.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र –

1. प्रधान पुत्र राधाकिशन जाति धाकड निवासी रूघनाथपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. महावीर पुत्र राधाकिशन जाति धाकड निवासी रूघनाथपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. रामकिशन पुत्र राधाकिशन जाति धाकड निवासी रूघनाथपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. रामराज पुत्र राधाकिशन जाति धाकड निवासी रूघनाथपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. नाबालिग गालू पुत्र स्व0 हेमराज जरिए संरक्षक माता बीना पत्नी स्व0 हेमराज जाति धाकड निवासी रूघनाथपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. बीना पत्नी स्व0 हेमराज जाति धाकड निवासी रूघनाथपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी पक्ष–

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी पक्ष–

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार **आराजी खाता संख्या 856 खसरा नम्बर 11 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 8 रकबा 0.15 है0 व खाता संख्या 857 खसरा नम्बर 4228 रकबा 0.09 है0** वाके ग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक, प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है। पडोसी खातेदारों से सीमा विवाद है, परन्तु अधिवक्ता कथनानुसार पडोसी खातेदार से सीमा विवाद नही है।

अतः जमाबंदी संवत् **2073–76** में अंकित **आराजी खाता संख्या 856 खसरा नम्बर 11 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 8 रकबा 0.15 है0 व खाता संख्या 857 खसरा नम्बर 4228 रकबा 0.09 है0** वाके ग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक, की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमीश्नर बनाया जाता है और मौका कमीश्नर फीस 1000/– रू0 निर्धारित की जाकर एतदद्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
देवली